लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1525

जिसका उत्तर बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

सब्जी, दाल और तेल की कीमतों में वृद्धि

1525. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल के वर्षों में देश में सब्जी, दालों और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आम आदमी को पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मूल्य वृद्धि के कारणों का पता लगाने और आम आदमी को राहत प्रदान करने हेतु मूल्य को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु एक समिति गठित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत आलू, प्याज, टमाटर, दालों और खाद्य तेल सहित चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

(ग) और (घ): सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, कीमतों और उपलब्धता पर कड़ी नज़र रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य प्रवृत्तियों की स्थिति, कीमतों में वृद्धि के कारणों की समीक्षा करती है और उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों को स्थिर करने के उपाय सुझाती है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, खरीद का सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संतुलित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में, बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केन्द्रों पर स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दालें, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है।

****